न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

प्रकरण संख्याः–116 / 2024

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88, 53 आर.टी.ए.

तजेंद्र सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

– वादी

बनाम्

1 सुरेन्द्र सन्धू पुत्र श्री नरेन्द्र सिह जाति जटसिख नि0 हनुमानगढ टाउन
2 सुखजीतकौर पत्नि नरेन्द्र सिह जाति जटसिख नि0 हनुमानगढ टाउन
3 रूपिन्द्र कौर पुत्री नरेन्द्र सिह जाति जटसिख नि0 हनुमानगढ टाउन
4 विरेन्द्र सिह उर्फ बब्लू पुत्र श्री गुरमीत सिंह जाति जटसिख नि0 हनुमानगढ टाउन
5 तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सिहाग – अधिवक्ता वादी
2. श्री भीम खिलेरी प्रतिवादी सं. 1 ता 4
3. राजपैरोकार प्रतिवादी सं. 5

–ःनिर्णयः–

दिनांक 3.5.24

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम वाके चक 48 एन जी सी खाता संख्या 80/73 में 5.920 हैक्टयर, खाता संख्या 122/76 संयुक्त खाता में दर्ज कुल 1.6450 हैक्टयर में से 1.096 हैक्टयर, इसी चक के खाता संख्या 79/74 में दर्ज कुल 4.035 हैक्टयर में से 2.017 हैक्टयर व वाके चक 3 एस एन एम के खाता संख्या 51/50 में दर्ज 5.3130 में से 3.542 हैक्टयर भूमि व वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 54/51 में दर्ज 9.8670 हैक्टयर दर्ज है व इसी प्रकार वाके चक 2 एस एन एम खाता संख्या 65/50 में 1.2650 हैक्टयर भूमि दर्ज है, इसी प्रकार वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 59/56 में 2.3400 हैक्टयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 59/56 सम्वत् 2070–2079, वाके चक 2 एस एन एम खाता संख्या 65/50 सम्वत् 2074–2077, वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 54/51 सम्वत् 2076–2079, वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 51/50 सम्वत् 2076–79, वाके चक 48 एन जी सी खाता संख्या 79/74 सम्वत् 2076–2079, वाके चक 48 एन जी सी खाता संख्या 122/76 सम्वत् 2076–2079 व वाके चक 48 एन जी सी खाताा संख्या 80/73 सम्वत् 2076–2079 हमराह पेश है।

यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि मुझ वादी के पिता स्व0 नरेन्द्र सिंह की भूमि थी जो उनके फौत होने के पश्चात मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 पर विरास्तन औद हुइ है, इसी प्रकार वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 56/56 में 1.201 हैक्टयर भूमि भी मुझ वादी के दादा स्व0 गुरमीत सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह के नाम दर्ज है उक्त भूमि की वसीयत मुझ वादी के दादा स्व0 गुरमीत सिंह ने अपने जीवन काल में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या [illegible] करवा दी थी परन्तु अभी तक राजस्व रिकार्ड में उक्त वसीयत का अमल अभी तक न[illegible]

यह कि मुझ वादी के पिता स्व0 नरेन्द्र सिंह जरिये जरिये रजिस्टर्ड द[illegible] गोद मघीदेवी बेवा सागुराम जाति ब्राहमण साकिन हनुमानगढ टाउन के गोद चले गये थे तथा [illegible] के फौत होने के पश्चात उनकी जायदाद का विरास्तन अमल होते वक्त सहवन राजस्व कर्मचारीयों द्वारा नरेन्द्र सिंह की जाति ब्राहमण दर्ज कर दी गई थी जोकि एक लिपिकीय भूल है। स्व0 नरेन्द्र सिंह के फौत होने के बाद मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने घ[illegible]टवारा (पारिवारिक समझौता) कर लिया व पारिवारिक समझौता होने के पश्चात प्रतिवादीया संख्या 3 रूपिन्द्र कौर ने विरास्तन प्राप्त अपने हक की भूमि का हक त्याग मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कर दिया था। पारिवारिक समझौता होने के पश्चात मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने आपस में काश्त की सुविधा अनुसार बंटवारा कर लिया व मुताबिक बंटवारा मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 54/51 में दर्ज 9.8670 हैक्टयर भूमि व वाके चक 2 एस एन एम खाता संख्या 65/50 में दर्ज 1.2650 हैक्टयर भूमि व वाके चक 3 एस एन

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

एम खाता संख्या 51/50 में संयुक्त खाता में दर्ज 5.313 हैक्टयर में से 1.771 हैक्टयर भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। इसी प्रकार वाके चक 48 एन जी सी खाता संख्या 80/73 में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कुल 5.920 हैक्टयर भूमि में से मुझ वादी को 3.2445 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 1 को 2.4855 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 4 विरेन्द्र सिंह को 0.190 हैक्टयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 122/76 में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज 1.6450 हैक्टयर भूमि में से 1.096 हैक्टयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 79/74 की 4.035 हैक्टयर भूमि मे से मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टयर भूमि व इसी प्रकार वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 59/56 में गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 1.201 हैक्टयर भूमि तथा इसी खाता में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टयर भूमि यानि उक्त खाता में 1.960 हैक्टयर भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर भूमि प्राप्त हुई। घरू बंटवारा के रोज से मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 घरू बंटवारा अनुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं और आज मौका पर मुताबिक घरू बंटवारा काबिज काश्त है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी तक मुताबिक घरू बंटवारा अमल नही होने के कारण मुझ वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः वादी घोषणा इस अमर की प्राप्त करने का अधिकारी है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 54/51 में दर्ज 9.8670 हैक्टयर भूमि व वाके चक 2 एस एन एम खाता संख्या 65/50 में दर्ज 1.2650 हैक्टयर भूमि व वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 51/50 में संयुक्त खाता में दर्ज 5.313 हैक्टयर में से 1.771 हैक्टयर भूमि बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार वाके चक 48 एन जी सी खाता संख्या 80/73 में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कुल 5.920 हैक्टयर भूमि में से मुझ वादी को 3.2445 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 1 को 2.4855 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 4 विरेन्द्र सिंह को 0.190 हैक्टयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 122/76 में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज 1.6450 हैक्टयर भूमि में से 1.096 हैक्टयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 79/74 की 4.035 हैक्टयर भूमि मे से मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टयर भूमि व इसी प्रकार वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 59/56 में गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 1.201 हैक्टयर भूमि तथा इसी खाता में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टयर भूमि यानि उक्त खाता में 1.960 हैक्टयर भूमि मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर भूमि के हकदार खातेदार काश्तकार है व वाके चक 48 एन जी सी के खाता संख्या 80/73 व खाता संख्या 122/76 व खाता संख्या 79/74 व वाके चक 3 एस एन एम के खाता संख्या 51/50 व खाता संख्या 54/51 व वाके चक 2 एस एन एम के खाता संख्या 65/50 व वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 59/56 में प्रतिवादी संख्या 3 रूपिन्द्र कौर का नाम व वाके चक 48 एन जी सी के खाता संख्या 80/73 व खाता संख्या 22/76 व खाता संख्या 79/74 व वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 59/56 से प्रतिवादी संख्या 2 सुखजीत कौर का नाम व वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 59/56 में गुरमीत सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह का नाम कलमजन किया जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करवाने के अधिकारी हैं।

यह कि मुझ वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 4 का खाता संयुक्त होने व मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार अमल नही होने के कारण आप में सींव बट, रकम राज आदि का विवाद रहता है, इसलिए मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 अपनी आराजी का खाता अलग से कायम करवाकर उसी अनुसार रकम राज अलग करवाने के अधिकारी है।

(क) वादी तजेन्द्र सिंह को घराघरू विभाजन में प्राप्त भूमि का विवरण –

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
48 एनजीसी	129/264	42	10, 11, 20

कुल–

(क) वादी, प्रतिवादी सं0–1 कुल 1/2 हिस्सा भूमि बहिस्सा बराबर व प्रति0सं[illegible] शेष 1 हिस्सा विभाजन में प्राप्त भूमि का विवरण –

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	मु0नं0	किला नम्बर
48 एनजीसी	129/264	42	21/1/0.1020, 21/2/0.0250, 22/1/.228, 22/2/.025

कुल– 0.380 हैक्टयर

यह कि वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का वाद–पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णितानुसार वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 4 ने घराघरू बंटवारा किया हुआ है लेकिन राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक घरू बंटवारा अंकन ना होने के कारण वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 4 का आपस में सींव बट व रकम राज का विवाद रहता है जिससे वादी घराघरू बंटवारा में प्राप्त वाद–पत्र की चरण

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:48 I
Reason: SelfAttested

संख्या 5 में वर्णित भूमि का अपने नाम अलग से खाता व रकम कायम करवाना चाहता है जिसका कि वादी अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादी ने अर्सा एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे वाद–पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का वाद–पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार हक हिस्सा दर्ज करवाने व मुताबिक घराघरू बंटवारा खाता विभाजन करवाने में सहमति दे देवें, तो वे इन्कार हो गये, यही बिनाय दावा है।

अतः वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीका पर डिक्री फरमाया जावेः–

क) घोषणा फरमाई जावे कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 54/51 में दर्ज 9.8670 हैक्टयर भूमि व वाके चक 2 एस एन एम खाता संख्या 65/50 में दर्ज 1.2650 हैक्टयर भूमि व वाके चक 3 एस एन एम खाता संख्या 51/50 में संयुक्त खाता में दर्ज 5.313 हैक्टयर में से 1.771 हैक्टयर भूमि बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। इसी प्रकार वाके चक 48 एन जी सी खाता संख्या 80/73 में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कुल 5.920 हैक्टयर भूमि में से मुझ वादी को 3.2445 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 1 को 2.4855 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 4 विरेन्द्र सिंह को 0.190 हैक्टयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 122/76 में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज 1. 6450 हैक्टयर भूमि में से 1.096 हैक्टयर भूमि व इसी चक के खाता संख्या 79/74 की 4.035 हैक्टयर भूमि मे से मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.506 हैक्टयर भूमि व इसी प्रकार वाके चक 49 एन जी सी खाता संख्या 59/56 में गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 1.201 हैक्टयर भूमि तथा इसी खाता में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज 0.759 हैक्टयर भूमि यानि उक्त खाता में 1.960 हैक्टयर भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर भूमि के हकदार खातेदार काश्तकार है व वाके चक 48 एन जी सी के खाता संख्या 80/73 व खाता संख्या 122/76 व खाता संख्या 79/74 व वाके चक 3 एस एन एम के खाता संख्या 51/50 व खाता संख्या 54/51 व वाके चक 2 एस एन एम के खाता संख्या 65/50 व वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 59/56 में प्रतिवादी संख्या 3 रूपिन्द्र कौर का नाम व वाके चक 48 एन जी सी के खाता संख्या 80/73 व खाता संख्या 22/76 व खाता संख्या 79/74 व वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 59/56 से प्रतिवादी संख्या 2 सुखजीत कौर का नाम व वाके चक 49 एन जी सी के खाता संख्या 59/56 में गुरमीत सिंह पुत्र श्री विचित्र सिंह का नाम कलमजन किया जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता भीम खिलेरी ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 हाजिर न्यायालय आकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में राजीनामा पेश होने के कारण तनकियात विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस वकील उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पक्षकारान उभयपक्ष द्वारा पेश राजीनामा का अवलोकन करने पर न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद या विरोधाभास नहीं है इसलिए वादीगण वाद मुताबिक राजीनामा, स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

अतः वादी वाद मुताबिक राजीनामा के अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित किया जाता है किः– चक 48 एनजीसी खाता सं. 122/76 कुल रकबा 1.645 में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज 1.096 है. भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 2 सुखजीत कौर व प्रति. सं. 3 रूपिन्द्र कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक 48 एनजीसी खाता सं. 80/73 कुल रकबा 5.920 में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज समस्त रकबा में वादी को 3.2445 है. प्रतिवादी सं. 1 को 2.4855 है. व प्रतिवादी सं. 4 को 0. 190 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खाता के प.न. 129/264 मु.न. 42 किला नं. 10, 11, 20 वादी के हिस्से में व किला नं. 21/1, 21/2, 22/1, 22/2 कुल 0.380 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. व प्रतिवादी सं. 4 का 1/2 हिस्सा अनुसार खाता व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 2 सुखजीत कौर व प्रति. सं. 3 रूपिन्द्र कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक 48 एनजीसी खाता सं. 79/74 कुल रकबा 4.035 है. में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के दर्ज 0.506 है. का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 2 सुखजीत कौर व प्रति. सं. 3 रूपिन्द्र कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक 3 एसएनएम खाता सं. 54/51 कुल रकबा 9.867 है. वादी एंव प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज हिस्से का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 3 रूपिन्द्र कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक 3 एसएनएम खाता सं. 51/50 कुल रकबा 5.313 है. में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज 1.771 है. का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 3 रूपिन्द्र कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक 2 एसएनएम खाता सं. 65/50 कुल रकबा 1.265 है. में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज 1.265 है. का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 3 रूपिन्द्र कौर का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है।

चक 49 एजजीसी खाता सं. 59/56 कुल रकबा 2.340 है. में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज 0.759 है. व खातेदार गुरमीत सिंह के नाम दर्ज 1.201 है. कुल 2.340 है. का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार खातेदार प्रति. सं. 2, 3 व खातेदार गुरमीत सिंह का नाम कलमजन करने के आदेश दिए जाते है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की उक्त खातो से ब्राह्म्ण जाति के स्थान पर मुताबिक तहसीलदार हनुमानगढ की अनुशंषा के जटसिख जाति किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग व रकमराज अलग कायमी के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायम किया जावें। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 3.5.24 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– यदि निर्णित आराजी बैंक रहन हो तो, रहन मुक्त होने के उपरांत निर्णय की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.05.21 16:32:48 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ